रजिस्ट्रेशन सं डी. एल.—33001/99 REGN. NO. D. L.—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 2003/फाल्गुन 10, 1924
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

का.ग्रा. 691.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के गृह (पुलिस) विभाग की दिनांक 4 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. 1/सीबीआई-80-03/2003 द्वारा प्राप्त बिहार राज्य सरकार की सहमति से पुलिस स्टेशन चेरिया, बरियापुर, मंझौला में दर्ज भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148, 149, 307 और 353 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन एफ आई आर सं. 129/02 दिनांक 23-12-2002 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302, 327 और 34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन एफ आई आर सं. 130/02 दिनांक 24-12-2002 के अन्वेषण तथा उपर्युक्त अपराधों में से एक अथवा अधिक से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्र तथा पूर्वोक्त मामलों के संबंध में उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य पर करती है।

[सं. 228/5/2003-डी.एस.पी.ई.]

शुभा ठाकुर, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 14th February, 2003

S. O. 691.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 (Act, No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Bihar vide Home (Police) Department Notification No. 1/CBI-80-03/2003

2. National Thermal Power Corporation Ltd.,
Sipat Super Thermal Power Project,
Post Office-Sipat,
Distt.-Bilaspur-495558
(Chattisgarh)

3. National Thermal Power Corporation Ltd.,
Jhanor Gandhar Gas Power Project,
Post Office-Urja Nagar,
Jhanor (NTPC Township),
Distt. Bharuch (Gujarat)
Pin-392215

4. National Thermal Power Corporation Ltd.,
Kawas Gas Power Project,
Post Office-Aditaya Nagar,
Surat-394516
(Gujarat)

[No. 11017/2/94-Hindi]
AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

का.आ. 703—: दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-I में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

अनुसूची के भाग-I में क्रम संख्या 56 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :

56. डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक रामा डेंटल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर के बी.डी.एस. छात्रों के संबंध में दन्त चिकित्सा अर्हता तभी मान्यता प्राप्त अर्हता होगी जब यह 20-02-2000 को अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो ।	बी डी एस डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

[सं. वी-12017/21/95-पीएमएस (भाग-VII)]
एस.के. राव, निदेशक (एम ई)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Departement of Health)

New Delhi, the 14th February, 2003

S.O.703.—In exercise of the power conferred by Sub-section (2) of Section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consultation with Dental Council of India, hereby makes the following amendements in Part-I of the Schedule to the said Act, namely. :—

In Part I of the Schedule against Serial Number 56, and the entries, relating thereto, the following entries shall be added, namely :—

56. Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Bachelor of Dental Surgery the dental qualification shall be recognised qualications in respect of BDS students of Rama Dental College Hospital & Research Centre, Kanpur when granted on or after 20-2-2000.	BDS Dr. B.R. Ambedkar University, Agra

[No. V-12017/21/95-PMS (Vol. VII)]
S.K. RAO, Director (ME)